



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

“प्रधानमंत्री आवास योजना”

ब्रोशर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ता मै0 ए0टी0एस0 ग्रेड रियलटर्स प्रा0लि0 खसरा सं0-339, 340, 349 व 350 ग्राम रसूलपुर सिकरोड गाजियाबाद आवासीय योजना में निमार्णाधीन दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) भवनों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विवरण निम्नवत है:-

1.0- योजना :-

क्र. सं.	योजना का नाम	भवनों की संख्या	रेरा की पंजीकरण संख्या	भवनों का कारपेट एरिया (वर्ग मी0)	योजना कोड व सम्पत्ति कोड	पंजीकरण राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मै0 ए0टी0एस0 ग्रेड रियलटर्स प्रा0लि0 खसरा सं0-339, 340, 349 व 350 ग्राम रसूलपुर सिकरोड गाजियाबाद	03	UPRERAPRJ962 888	22.81	931-41D	5000.00

*नोट- भवनों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

2.1 भवन का अन्तिम मूल्य	Rs. 4.45 लाख (भवनों का मूल्य घट/बढ़ सकता है)
केन्द्रीय अंशदान (अनुदान)	Rs. 1.50 लाख
राज्य अंशदान (अनुदान)	Rs. 1.00 लाख
लाभार्थी द्वारा देय अंशदान	Rs. 1.95 लाख

पंजीकरण शुल्क Rs. 5000.00

(शासनादेश संख्या-646/आठ-1-17-36विविध/2017 दिनांक 30 मई 2018 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/532/आठ-1-20-80विविध/2020 दिनांक 18.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-21/2020/531/आठ-1-20-106विविध/2018 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार)

3.0 पात्रता

- 3.1- आवेदक भारत का नागरिक हो तथा जिला गाजियाबाद का निवासी होना चाहिए।
- 3.2- योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

20/11/2025
निमलेश कुमार

20/11/25
धनंजय शर्मा
अवर अधिकारी

20/11/25
अमित
अवर अधिकारी

20/11/2025
राजीव कुमार सिंह
अवर अधिकारी

- 3.3- आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (उसके पति/पत्नी एवं अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायशी इकाईयां) नहीं होनी चाहिए।
- 3.4- दुर्बल आय वर्ग (ई डब्ल्यू एस.) श्रेणी के भवनों हेतु Rs 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी गाजियाबाद से निर्गत वैध आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3.5- उपरोक्त पात्रता धारक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होंगे। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा पूर्व में चयनित आवेदकों के साथ-साथ नये आवेदकों को भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन भवनों हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात उनकी पात्रता का सत्यापन राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किये जाने के उपरान्त सत्यापित आवेदक ही आवंटन के पात्र होंगे।
- 3.6- इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये आवास परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होगा और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, तो परिवार के पुरुष सदस्य के नाम में किया जा सकता है।

4.0 पंजीकरण राशि

- 1- पंजीकरण धनराशि का भुगतान ऑन लाईन प्राधिकरण के खाता सं0 VCGDAPMAY BUILDERS-50100299389347 HDFC बैंक, शाखा राजनगर, गाजियाबाद में नई टी0आई0डी0 नं0-76044996 पर ऑनलाईन पोर्टल पर करना होगा।

5.0 आवंटन

- 5.1- आवेदन पत्र डूडा से सत्यापित कराये जायेंगे। उन्हीं आवेदन पत्रों को लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा। डूडा द्वारा सत्यापन न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।
- 5.2- योजना हेतु प्राप्त आवेदन की प्रारम्भिक जांच के उपरान्त आवेदक की सूची लाटरी से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची की प्रविष्टियों में आपत्ति एवं आवश्यक संशोधन हेतु आवेदक निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5.3- पात्र आवेदकों को भवनों का आवंटन गठित कमेटी द्वारा लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- 5.4- सफल आवेदकों को मैनुअल लाटरी/ड्रा के आधार पर आवंटन किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5.5- लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाइट gdaghaziabad.in पर उपलब्ध होगा।
- 5.6- आवंटी विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।
- 5.7- भवन आवंटन के उपरान्त 05 वर्ष तक भवन का विक्रय नहीं किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत उक्त शर्त का इस सीमा तक शिथिलीकरण किया जाता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वसूली हेतु बंधक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नीलामी/विक्रय राशि से शासकीय सब्सिडी में वसूली की जायेगी। कब्जे की तिथि से 05 वर्ष तक उक्त ईकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा। 05 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय

20/11/2025

20/11/25

20/11/25

20/11/2025
कमल सिंह

विलेख निष्पादित किया जायेगा। यदि 05 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त ईकाई का उपयोग स्वयं नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त ईकाई सम्बन्धित प्राधिकरण में निहित हो जायेगी, तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

5.8- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोग के लिए ही किया जायेगा।

5.9- किश्तें

- (1) आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा मात्र रू0 5,000/- (पांच हजार मात्र) पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि 06 तिमाही किश्तों में जमा की जायेगी।
- (2) किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर विलम्ब अवधि पर नियमानुसार 10.5 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।

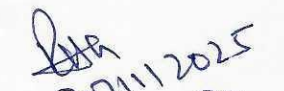
6.0 पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

- 6.1- आवेदक लाटरी ड्रा से पूर्व पंजीकरण को निरस्त करने का आवेदन करते हुए पंजीकरण धनराशि वापिस प्राप्त कर सकते हैं किन्तु लाटरी की तिथि निर्धारण की सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त पंजीकरण धनराशि वापिस नहीं होगी।
- 6.2- यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।
- 6.3- यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है परन्तु आरक्षण राशि व देय किश्त जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य नियम व शर्तों के उल्लंघन के आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो पंजीकरण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 6.4- आवंटन तिथि से 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 6.5- भुगतान विवरण के अनुसार किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण उपाध्यक्ष को होगा।
- 6.6- यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अन्तिम तिथि से 1 वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक 3.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।
- 6.7- लाटरी के पश्चात असफल जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए गजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास जमा है तो उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित करना अनिवार्य है।


20/11/2025
राजीव कुमार
कनिष्ठ लिपिक


20/11/25
अनुराग मिश्रा
अवर अभियन्ता


20/11/25
अनुराग मिश्रा
अवर अभियन्ता


20/11/2025
राजीव कुमार सिंह
प्रभारी पीओएमएडए

7.0 कब्जा

- 7.1— प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य एवं अन्य व्ययों के भुगतान एवं विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निबन्धन के साथ ही आवंटी को भवन का कब्जा दिया जायेगा। निबन्धन में आने वाला व्यय (स्टाम्प पेपर व कोर्ट फीस) आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 7.2— सूचित अवधि में पट्टा विलेख न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार होल्डिंग शुल्क Rs 200.00 प्रतिमाह देय होगा। भवन कब्जा 6 माह तक न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 7.3— नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।
- 7.4— विकसित योजना की सेवाओं का आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तान्तरण होने तक उनका रखरखाव निजी विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेण्ट्स में कामन सुविधाओं के रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेण्ट अधिनियम 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। भवनों के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि का "अनुरक्षण फण्ड" तथा वृहद् एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि का "कारपस फण्ड" बनाया जायेगा उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तगत कर दी जायेगी।
- 7.5— उक्त 1 प्रतिशत अनुरक्षण फण्ड की धनराशि दो वर्षों के लिए होगी अनुरक्षण अवधि बढ़ने पर नियमानुसार वार्षिक अनुरक्षण धनराशि आवंटी द्वारा देय होगी।

8.0 भवनों का प्रयोग

- 8.1— आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

9.0 पट्टा विलेख

- 9.1— भवनों का आवंटन 90 वर्ष की लीज के आधार पर किया जायेगा। यदि अन्तिम मूल्य अनुमानित मूल्य से बढ़ता है तो अनुमानित मूल्य एवं अन्तिम मूल्य के अन्तर की राशि कब्जा/पट्टा अनुबंध से पूर्व देय होगी।
- 9.2— आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त तीन महीने के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।
- 9.3— पट्टा विलेख पंजीकरण से पूर्व आवंटी को ऑनलाइन अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

10.0 आरक्षण

- 10.1— उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-1022/आठ-1-18-93विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आवासीय योजना सबके लिए (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में निम्नानुसार "वरीयता नीति" की व्यवस्था की गयी है :-


20/11/25
विनय कुमार


20/11/25
मनोज सिंह


20/11/25
राजीव कुमार


20/11/2025
राजीव कुमार सिंह

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्रम सं	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

(ब) हारिजन्टल वरीयता

क्रम सं	श्रेणी (अनुसूचित जन जाति)	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1	दिव्यांग जन	05 प्रतिशत (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)
2	विधवा/एकल महिला	08 प्रतिशत
3	उभयलिंगी	0.5 प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक	—
5	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिशत (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)

10.2— आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

10.3— वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक आयु 60 वर्ष से कम ना हो।

10.4— सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

11.0 अन्य सामान्य नियम व शर्तें

11.1— योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भव है, जो अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा। जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

11.2— जिन व्यक्तियों के द्वारा डिमाण्ड सर्वे में प्रतिभाग किया गया है उनके द्वारा पूर्व में Rs 50/- का आवेदन फार्म कय किया गया था। सफल आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पुस्तिका की मूल आवेदन प्रति प्रस्तुत करने पर Rs 50/- को भवन के मूल्य में समायोजित नहीं किया जायेगा।

11.3— आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

11.4— आवंटन के पश्चात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्त/नियम समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इन में किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

11.5— इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

11.6— किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।

12.0 आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:-

12.1— यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार समस्त भुगतान करने पर हस्तातरित कर दिया जायेगा।


20/11/25
विमलेश कुमार


20/11/25
अनुराग
अपर अभियन्ता


20/11/25
राजीव कुमार सिंह
अपर अभियन्ता


20/11/2025
राजीव कुमार सिंह
अपर अभियन्ता

13.0 आवेदन कैसे करें :-

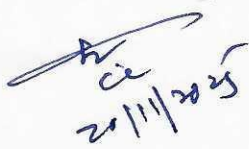
13.1- योजना में आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे।

13.2- योजना में आवेदन प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर दिये गये लिंक <http://pmay.gdaghaziabad.in> पर किये जायेंगे।

14.0 आवेदन करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त :-

14.1- आवेदक केवल एक पंजीकरण एक योजना में ही आवेदन कर सकता है।

उक्त शर्तों का अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर भी किया जा सकता है।


20/11/2025

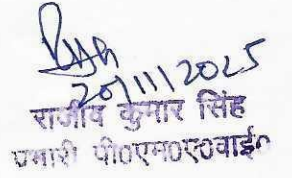
विमला कुमार
कनिष्ठ लिपिक


20/11/25

धर्मराज गौर
अपर अभिवन्ता


20/11/25
AB

राजीव कुमार सिंह
अपर अभिवन्ता


20/11/2025
राजीव कुमार सिंह
प्रभारी पीएमओएचवाई